



Neutral Citation Number - 2026:AHC:53013

एएफआर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामला संख्या - 1963 / 2026

शिव शंकर

.....याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

महावीर @ घुरा तुरहा और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी (ओं)

—
याचिकाकर्ता (ओं) के अधिवक्ता : परवेज़ इकबाल अंसारी

प्रत्यर्थी (ओं) के अधिवक्ता :

—
न्यायालय संख्या - 35

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री परवेज़ इकबाल अंसारी की ओर से उपस्थित हुए श्री अयूब खान को सुना गया।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह याचिका, बलिया के विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 द्वारा सिविल पुनरीक्षण संख्या निल/2025 (शिव शंकर बनाम महावीर व अन्य) में 01.11.2025 को पारित आदेश, और साथ ही बलिया के विद्वान सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वारा लघु वाद प्रकरण संख्या 139/2021 (महावीर व अन्य बनाम गुलाब चंद व अन्य) में 11.09.2025 को पारित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।

3. यह विवाद याचिकाकर्ता (जो इस मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 3 है) द्वारा दायर आवेदन संख्या 43 गा-2 के कारण उत्पन्न हुआ है। इस आवेदन में यह तर्क दिया गया था कि चूंकि यह वाद किराए की बकाया राशि और बेदखली से जुड़ा है, इसलिए इसकी सुनवाई लघु वाद न्यायालय में होनी चाहिए। इसलिए, इसे नियमित सिविल वाद के तौर पर दायर किए जाने के कारण, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के तहत इसका वादपत्र को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाना चाहिए था।

4. यद्यपि, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि भले ही यह वाद प्रारम्भ में एक नियमित मूल वाद के तौर पर दायर किया गया था, लेकिन बाद में जिला न्यायाधीश के आदेशों के अंतर्गत इसे सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न), बलिया के न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया था। इस न्यायालय के पास लघु वाद के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार था। इसे देखते हुए, न्यायालय ने माना कि अगर कोई कमी थी, तो वह दूर हो गई है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को लघु वाद के तौर पर पंजीकृत किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, और इस तरह आवेदन संख्या 43 गा-2 का निपटारा कर दिया।

5. उक्त आदेश के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका को पुनरीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया है और सम्बंधित न्यायालय के तर्क को सही ठहराया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. विचार के लिए जो प्रश्न हैं, वे ये हैं: क्या ऐसे मामले में, जहाँ कोई वाद क्षेत्राधिकार न रखने वाली न्यायालय में दायर किया गया हो, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के अनुसार वादपत्र को वापस करना ही एकमात्र सही तरीका है; क्या ज़िला न्यायाधीश को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24(5) के तहत ऐसे केस को सही अधिकार-क्षेत्र न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार है और क्या ऐसा हस्तांतरण अधिकार-क्षेत्र की कमी वाली त्रुटि को सही कर देता है; क्या हस्तांतरण का आदेश देने से पहले पूर्व सूचना न देने से कार्यवाही अमान्य हो जाती है; और क्या विवादित आदेशों में अधिकार-क्षेत्र से जुड़ी कोई ऐसी त्रुटि है जिसके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

7. याचिकाकर्ता की मुख्य दलील यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के प्रावधान अनिवार्य हैं। अगर यह पाया जाता है कि जिस न्यायालय में वाद दायर किया गया था, उसके पास अधिकार-क्षेत्र नहीं था, तो उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वादपत्र को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना चाहिए; और बाद में कार्यवाही को दूसरे न्यायालय में हस्तांतरण करने से यह त्रुटि दूर नहीं हो सकती। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 24 के तहत हस्तांतरण का आदेश पहले से कोई सूचना न दिए जाने के कारण अमान्य हो जाता है।

8. इस तर्क को समझने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के कार्यक्षेत्र और उद्देश्य की जांच करना ज़रूरी है। इस प्रावधान में यह सिद्धांत सम्मिलित है कि वाद-पत्र को सही अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए; और अगर जिस न्यायालय में इसे प्रस्तुत किया गया है, उसके पास क्षेत्राधिकार, पैसे या मामले से जुड़ा अधिकार-क्षेत्र नहीं है, तो वह उचित स्थान पर प्रस्तुत करने के लिए वाद-पत्र को वापस करने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान प्रक्रिया से जुड़ा है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले की सुनवाई ऐसे न्यायालय में हो जिसे विधिक रूप से वाद को सुनने का अधिकार हो।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. हालाँकि, इस प्रावधान को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता एक विस्तृत प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत हस्तांतरण की शक्ति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धारा 24 जिला न्यायाधीश को किसी भी चरण में किसी भी वाद, अपील या कार्यवाही को हस्तांतरण करने या वापस लेने की व्यापक और पूर्ण शक्तियाँ देती है। धारा 24 की उप-धारा (5) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि किसी वाद या कार्यवाही को ऐसे न्यायालय से हस्तांतरित किया जा सकता है जिसके पास उसकी सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

10. धारा 24(5) की भाषा साफ़ और स्पष्ट है और इससे विधि बनाने वालों का यह उद्देश्य प्रकट होता है कि मूल न्यायालय के पास अधिकार-क्षेत्र न होने पर भी मामले को दूसरी जगह हस्तांतरण करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रावधान जिला न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वाद पत्र को वापस करने और उसे पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना ही कार्यवाही को सही अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय के सामने लाया जा सके।

11. इसी संदर्भ में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के प्रावधानों और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत हस्तांतरित करने की शक्ति के बीच का आपसी संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे जो विधिक स्थिति सामने आती है, वह यह है कि हर मामले में यह ज़रूरी नहीं है कि सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वाद-पत्र को वापस ही किया जाए। जिला न्यायाधीश के पास सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी ऐसे मामले को, जिसके लिए न्यायालय के पास अधिकार-क्षेत्र नहीं है, उस न्यायालय में हस्तांतरित करने का विकल्प भी होता है जिसके पास उस मामले की सुनवाई करने का अधिकार-क्षेत्र हो; और इस तरह का हस्तांतरण अधिकार-क्षेत्र की कमी की समस्या को दूर करने का एक वैध और विधिक रूप से मान्य तरीका है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 और नियम 10-A में दिए गए प्रावधान वास्तव में प्रक्रिया से जुड़े तरीके हैं, जिनका उद्देश्य सही मंच के सामने मामले का ठीक से निपटारा करना है। इन प्रावधानों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत जिला न्यायाधीश को मिले हस्तांतरण के व्यापक अधिकारों को कम करने या उन पर हावी होने वाले प्रावधानों के तौर पर नहीं देखा जा सकता। असल में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24(5) स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी ऐसे न्यायालय से वाद या कार्यवाही हस्तांतरित की जा सकती है जिसके पास उसकी सुनवाई का अधिकार नहीं है; इस तरह, यह अधिकार क्षेत्र की कमी को दूर करने के लिए हस्तांतरण को एक विकल्प और उतना ही प्रभावी तरीका मानती है।

13. अतः, यह आवश्यक नहीं है कि अधिकार-क्षेत्र में कमी पाए जाने पर हर मामले में वाद पत्र वापस की ही जाए। अगर किसी सक्षम न्यायालय में विधिक रूप से मामला हस्तांतरित करके उस त्रुटि को प्रभावी ढंग से ठीक कर दिया गया है, तो वाद पत्र वापस करने पर ज़ोर देना असल बात के बजाय दिखावे को ज़्यादा महत्व देने जैसा होगा और इससे प्रक्रियात्मक विधि का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

14. इस दृष्टिकोण से देखें तो, जब किसी वाद को विधिक रूप से अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। इसके बाद भी वाद पत्र को वापस करने पर ज़ोर देना सिर्फ एक औपचारिकता होगी, जिससे न्याय नहीं होगा, अपितु अकारण विलम्ब होगा और विधिक कार्यवाही की संख्या बढ़ेगी।

15. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रक्रियात्मक विधि न्याय का सहायक होता है और इसका उद्देश्य तकनीकी आधारों पर न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाना होता है। इसलिए, जहाँ अधिकार-क्षेत्र की कमी को हस्तांतरण के एक वैध आदेश द्वारा प्रभावी ढंग से ठीक कर दिया गया हो और किसी भी पक्ष को कोई नुकसान न पहुँचा हो, वहाँ केवल

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इस आधार पर हस्तांतरण को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि वाद पत्र को औपचारिक रूप से वापस नहीं किया गया था।

16. इस प्रकार जो विधिक स्थिति सामने आती है, वह यह है कि अधिकार-क्षेत्र की कमी वाले हर मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के तहत वाद-पत्र को वापस करना ही एकमात्र या अनिवार्य तरीका नहीं है; बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत किसी सक्षम न्यायालय में विधिक रूप से मामला हस्तांतरित करने से ऐसी कमी पूरी हो जाती है और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

17. इस मामले में, संबंधित ज़िला न्यायाधीश ने अधिकार-क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और वाद को सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), बलिया के न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया। यह न्यायालय इस मामले की सुनवाई लघु वाद के रूप पर करने के लिए सक्षम थी। इसके बाद, हस्तांतरित किये गए न्यायालय ने मामले को उसी के अनुसार पंजीकृत किया और विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की।

18. इस प्रकार, प्रारंभिक कार्यवाही में अगर कोई कमी थी, तो वह हस्तांतरण से ठीक हो गई। इसके बाद की कार्यवाही विधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में जारी रही, और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो गया।

19. हस्तांतरण से पहले सूचना न दिए जाने का तर्क भी मानने लायक नहीं है। हालांकि धारा 24 में सूचना और सुनवाई का मौका देने की बात कही गई है, लेकिन ऐसी आवश्यकता को हर स्थिति में कड़ाई से लागू नहीं किया जा सकता। असल बात यह है कि क्या इससे कोई नुकसान हुआ है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20. हस्तांतरण से पहले सूचना देने की आवश्यकता, हालांकि आम तौर पर ज़रूरी मानी जाती है, लेकिन हर स्थिति में इसे कड़ाई से लागू नहीं किया जा सकता। अगर हस्तांतरण का विरोध करने वाले पक्षों को अधिकार-क्षेत्र से जुड़े मुद्दे की पहले से जानकारी थी और उसने खुद अधिकार-क्षेत्र को लेकर आपत्ति जताई थी, और अगर इससे कोई साबित होने लायक नुकसान नहीं हुआ है, तो सिर्फ पहले से सूचना न दिए जाने के आधार पर हस्तांतरण को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।

21. अभिलेख से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को कार्यवाही की प्रकृति के बारे में जानकारी थी और वाद हस्तांतरित होने के बाद, उसने लिखित बयान दाखिल करके और साक्ष्य प्रस्तुत करके विचारण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के तहत आवेदन बहुत देर से दिया गया था। सिर्फ पहले से सूचना न मिलने के आधार पर हस्तांतरण को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब इससे कोई नुकसान न हुआ हो।

22. पुनरीक्षण न्यायालय ने भी सही कहा है कि आवेदन संख्या ४३ गा-2 को अपास्त करने वाला आदेश वास्तव में अंतर्वर्ती है और इससे न्याय में कोई कमी नहीं आती। पुनरीक्षण अधिकार-क्षेत्र सीमित होने के कारण, इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

23. मामले पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि सम्बंधित न्यायालयों ने मामले के तथ्यात्मक और विधिक दोनों पहलुओं को सही प्रकार से समझा है। अपनाया गया तरीका प्रक्रियात्मक विधि और अधिकार-क्षेत्र से संबंधित स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप देने लायक कोई अधिकार-क्षेत्र संबंधी गलती, विधि विरुद्ध बात या मनमानापन सिद्ध नहीं हुआ है। यह भी नहीं दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता को कोई नुकसान पहुँचा है।

25. अगर कोई वाद ऐसे न्यायालय में दायर किया जाता है जिसके पास अधिकार-क्षेत्र नहीं है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के तहत वाद पत्र को वापस करना ज़रूरी नहीं है। ज़िला न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24(5) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे वाद को उस न्यायालय में हस्तांतरित करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं जिसके पास उसकी सुनवाई का अधिकार-क्षेत्र है; और ऐसा हस्तांतरण अधिकार-क्षेत्र की कमी को दूर करने का एक वैध तरीका है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 और नियम 10A के प्रावधान प्रक्रिया से जुड़े हैं और इन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत मिली हस्तांतरण की व्यापक शक्ति को सीमित करने या उससे ऊपर मानने के तौर पर नहीं देखा जा सकता। जहाँ हस्तांतरण के विधिक आदेश से अधिकार-क्षेत्र की कमी को प्रभावी ढंग से दूर कर दिया गया हो और किसी भी पक्ष को कोई नुकसान न हुआ हो, वहाँ वाद पत्र को वापस करने पर ज़ोर देना असल बात के बजाय दिखावे को ज़्यादा महत्व देने जैसा होगा। धारा 24 के तहत पहले से सूचना न देने मात्र से, जब तक कि कोई नुकसान सिद्ध न हो, हस्तांतरण का आदेश अमान्य नहीं हो जाता।

26. याचिका में कोई दम नहीं है, अतः इसे निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव)

16 मार्च, 2026

आरकेके/-विनोद.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"